

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत आश्रमों एवं छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु (कलेक्टर दर पर) भर्ती नियम, 2015

1. संक्षिप्त नाम लागू होना तथा प्रारंभ
2. परिभाषाएं
3. भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें
4. नियुक्ति में प्राथमिकता
5. रोजगार कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत उम्मीदवारों की सूची
6. निर्धारित आरक्षण
7. प्रतीक्षा सूची
8. अन्य शर्तें

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत आश्रमों एवं छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु (कलेक्टर दर पर) भर्ती नियम, 2015

क्र. एफ-23-10-2015-पच्चीस-5 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अधीन संचालित आश्रम एवं छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की (कलेक्टर दर पर) भर्ती किये जाने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

नियम

1. **संक्षिप्त नाम लागू होना तथा प्रारंभ** - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अंतर्गत आश्रमों एवं छात्रावासों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों हेतु (कलेक्टर दर पर) भर्ती नियम, 2015 है.
(2) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे
2. **परिभाषाएं** - इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो.
(क) " नियुक्ति प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, आयुक्ता, अनुसूचित जाति विकास या उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य अधिकारी;
(ख) " नियुक्ति " से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन कलेक्टर दर पर नियुक्त किया गया व्यक्ति;
(ग) "विभाग" से अभिप्रेत है, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग;
(घ) "आयुक्त " से अभिप्रेत है आयुक्त अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश
3. **भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें**- (1) रसोईया, पानीवाला, चौकीदार की भर्ती की शैक्षणिक योग्यता कक्षा आठवीं उत्तीर्ण होगी
(2) न्यूनतम आयु सीमा पुरुष/महिला के लिए 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम आयु सीमा अनुसार होगी.
(3) वेतन कलेक्टर दर अनुसार होगा
(4) चयन प्रक्रिया हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार चयन समिति का गठन किया जायेगा:-

4.1	कलेक्टर अथवा नामांकित प्रतिनिधि	अध्यक्ष
4.2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4.3	जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य
4.4	सहायक आयुक्त/जिला संयोजक	सदस्य सचिव.

4. **नियुक्ति में प्राथमिकता** - अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत पीड़ित परिवार के पात्र आश्रित को नियुक्ति में प्राथमिकता प्रदान की जायेगी.
5. **रोजगार कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत उम्मीदवारों की सूची** - पदों की भर्ती के लिए जिला रोजगार कार्यालय के माध्यम से पंजीकृत उम्मीदवारों की सूची प्राप्त की जायेगी.
6. **प्रतीक्षा सूची** - चयन समिति द्वारा प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी जो एक वर्ष के लिए वैध रहेगी.
7. **निर्धारित आरक्षण** - पदों में सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए निर्धारित आरक्षण प्रदान किया जायेगा.
8. **अन्य शर्तें:-** (1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा
 - (2) आवेदक को राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.
 - (3) किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को उनकी पदस्थापना स्थल से अन्यत्र पदस्थ नहीं किया जायेगा.
 - (4) कर्मचारियों का चरित्र सत्यापन जिला पुलिस के माध्यम से किया जायेगा.
 - (5) चयनित कर्मचारी को जिला मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा.
 - (6) चयनित व्यक्ति आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करेगा अन्यथा उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी.
 - (7) यदि कोई कर्मचारी बिना कोई विशिष्ट कारण अथवा बगैर सूचना के अपने कर्तव्य से एक माह से अधिक अवधि तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी नियुक्ति अनुपस्थिति दिनांक से समाप्त की जा सकेगी.
 - (8) इस नियम के जारी होने के पूर्व प्रवृत्त भर्ती प्रक्रिया एतद्द्वारा निरस्त की जाती है.
 - (9) कलेक्टर दर पर नियुक्त कर्मचारी शासकीय सेवक नहीं माना जायेगा.
 - (10) चयनित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमितीकरण और नियमित वेतन के हकदार नहीं होंगे और न वे इसके लिए कोई न्यायालयीन - दावा प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे.
 - (11) सेवाएं संतोषजनक नहीं पाए जाने पर अथवा अन्य कारणों से बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकेंगी.